नागरिकशास्त्र

(संसदीय शासन प्रणाली)

अनुक्रमणिका

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्रमांक
१.	संसदीय शासन प्रणाली का परिचय	६८
२.	भारत की संसद	७१
३.	केंद्रीय कार्यकारी मंडल	७५
४.	भारत की न्यायपालिका	७९
५.	राज्य सरकार	८३
६.	नौकरशाही	८६

अध्ययन निष्पत्ति

उपयोजित शैक्षिक प्रक्रिया	अध्ययन निष्पत्ति
व्यक्तिगत / अध्ययनार्थी को जोड़ी से / गुटों में अध्ययन का अवसर प्रदान करना और उसे निम्न बातों के लिए प्रेरित करना । • संविधान, संसद, न्यायसंस्था, पार्श्वीकरण (marginalisation) जैसी संकल्पनाओं पर आधारित चर्चा में सहभागी होना । • भारतीय संविधान का महत्त्व, उद्देशिका, संसदीय शासन प्रणाली, सत्ता का विभाजन, संघराज्यवाद पर रेखाचित्र और चित्रों के साथ भित्तिपत्र बनाना और लिखित/मौखिक रूप में उनका प्रस्तुतीकरण करना । • कक्षा/विद्यालय/घर/समाज में स्वतंत्रता, समता, बंधुता इन तत्त्वों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इसपर विचार-विमर्श करना । • राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश के लोकसभा चुनाव क्षेत्र के मानचित्र का निरीक्षण करना । • बालसंसद और अभिरूप आचार संहिता के साथ अभिरूप चुनाव का आयोजन करना । • अपने क्षेत्र के/नजदीकी पंजीकृत मतदाताओं की सूची तैयार करना । • अपने क्षेत्र में मतदान का महत्त्व इस विषय पर जागृति अभियान का आयोजन करना । • अपने निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना । • प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के लिखित अंश की जाँच-पड़ताल करना । • दावेदार के साथ जो न्याय होता है उसमें न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर विस्तृत और विश्लेषणात्मक लेखन के माध्यम से स्वमत अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना । • विशेषतः स्त्रियाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति, घुमंतू जनजातियाँ, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, दिव्यांग, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, अन्य उपेक्षित वर्ग के मानवी अधिकारों का हनन, संरक्षण और प्रचार पर गुटचर्चा का आयोजन करना । • बालमजदूर, बच्चों के अधिकार और भारत की फौजदारी न्याय व्यवस्था पर भूमिका का पालन करना । • सार्वजनिक सुविधाएँ और जल, स्वास्थ्य, बिजली की उपलब्धता में विषमता जैसे विषयों पर सह-अध्यायियों के साथ अपने अनुभवों को आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करना । • सार्वजनिक सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए सरकार किस प्रकार उत्तरदायी होती है, इसपर विचार-विमर्श का आयोजन करना ।	**अध्ययनार्थी** • भारत के संविधान के संदर्भ में अपने क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का अन्वयार्थ लगाते हैं । • राज्य सरकार और केंद्र शासन के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं । • लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करते हैं । • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के मानचित्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र का स्थान निश्चित करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम लिखते हैं । • विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करते हैं । (उदा. घरेलू हिंसा से रक्षा करने वाला कानून, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि ।) • कुछ महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन फैसले बताकर उनके आधार पर न्यायालयीन व्यवस्था का कार्य स्पष्ट करते हैं । • प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाती है, उसका प्रत्यक्षीकरण दिखाते हैं । • अपने प्रदेश के दुर्बल समाज वर्गों को दायरे से बाहर क्यों रहना पड़ता है, उन कारणों और परिणामों का विश्लेषण करते हैं । • जल, सार्वजनिक स्वच्छता, सड़क, बिजली आदि सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सरकार की भूमिका को जानते हैं और इन सेवाओं की उपलब्धता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं । • महाराष्ट्र की शासन व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट करते हैं ।

१. संसदीय शासन प्रणाली का परिचय

भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम प्रस्तुत पाठ में करेंगे ।

क्या ये प्रश्न तुम्हें भी अनुभव हुए हैं ?

- संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं ?
- भारत के प्रधानमंत्री हैं परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं ?
- संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है ?

उपर्युक्त उल्लिखित कुछ प्रश्नों से हमारे ध्यान में आता है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न है । विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

इस संस्था में विधान मंडल कानून बनाने का कार्य करता है । कार्यकारी मंडल उन कानूनों की प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही करता है । न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है । संविधान द्‌वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएँ तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं । ये संबंध किस स्वरूप के हैं; इसपर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है ।

इसके आधार पर शासन प्रणाली के बने मुख्य दो प्रकार दिखाई देते हैं । (१) संसदीय शासन प्रणाली (२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली ।

संसदीय शासन प्रणाली

संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई । इंग्लैंड का संविधान अलिखित है । आज भी वहाँ के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है । 'पार्लियामेंट' भी वहाँ की उत्क्रांत संस्था है । पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंटरी (Parliamentary) शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है । भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है । अर्थात् इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप में समानता पाई जाती है परंतु संस्थात्मक उद्‌देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली भिन्न है ।

संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे ।

- संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है । केंद्रीय शासन प्रणाली के विधान मंडल को 'संसद' कहा जाता है । भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है ।
- संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्‌वारा किया जाता है । इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है ।
- निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं । इन चुनावों में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं । इन चुनावों में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल को बहुमत प्राप्त दल माना जाता है । बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है ।
- कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्‌ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं । इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है ।
- इस प्रकार जनता द्‌वारा चुने गए प्रतिनिधि विधान मंडल के सदस्य बन जाते हैं और जिस

राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, वह दल सरकार बना सकता है ।

- जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है ।
- प्रधानमंत्री और उनके द्‌वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है । संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है । (१) कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है । (२) वे विधान मंडल के सदस्य भी होते हैं । अतः उन्हें विधान मंडल के प्रति दायित्वों को भी निभाना पड़ता है ।

प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं । इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल को विधान मंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है । इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को 'उत्तरदायी शासन प्रणाली' कहा जाता है । सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है । किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है । इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है । उसे प्रत्यक्ष रूप में कैसे लाया जाता है, यह हम सोदाहरण अगले दो पाठों में देखेंगे ।

संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधान मंडल के विश्वास पर टिका रहता है । इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधान मंडल का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है । यदि विधान मंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित करती है । अविश्वास प्रस्ताव नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है ।

संसदीय शासनप्रणाली में संसद अथवा विधान मंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । लोगों द्‌वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं । लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए, यह संसद द्‌वारा निर्धारित किया जाता है । संसद लोगों के प्रतिनिधियों का सदन होने के कारण और जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करने के कारण संसद का स्थान श्रेष्ठ है । अतः इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं ।

संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया है ?

भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और उसके कुछ कारण हैं । ब्रिटिशों के शासन काल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मिति हुई थी । ब्रिटिशों ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना शुरू किया था । संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है । फलतः इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ था । संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा भी हुई थी । संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए ।

संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा, परिचर्चाओं को बड़ा अवसर रहता है । संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है । इस चर्चा में विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं । सही मुद्‌दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं । इससे संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है ।

अध्यक्षीय शासन प्रणाली

शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं । अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है । यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है । विधान

मंडल से कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) सीधे जनता द्‌वारा चुना जाता है । इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है । शासन संस्थाओं के तीनों अंग इस प्रणाली में एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं परंतु उनके कार्यों में एकसूत्रता रहेगी, इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं । अमेरिका ने इस शासन प्रणाली का अंगीकार किया है । इस शासन प्रणाली की कुछ निम्न विशेषताएँ हैं;

- अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधान मंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं । विधान मंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्‌वारा तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्‌वारा किया जाता है । राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं और उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ-साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त रहते हैं ।
- अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधान मंडल और कार्यकारी मंडल एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं । एक-दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्‌धति से शासन चलाया जा सकता है ।

संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणालियाँ फ्रांस, स्विटजरलैंड, जर्मनी आदि देशों में हैं । विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंब करते हुए दिखाई देते हैं ।

अगले पाठ में, हम भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे ।

स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो ।

(१) संसदीय शासन प्रणाली ..... में विकसित हुई ।

(अ) इंग्लैंड (ब) फ्रांस

(क) अमेरिका (ड) नेपाल

(२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ..... कार्यकारी प्रमुख होते हैं ।

(अ) प्रधानमंत्री (ब) लोकसभा अध्यक्ष

(क) राष्ट्राध्यक्ष (ड) राज्यपाल

२. निम्न सारिणी पूर्ण करो ।

अ. क्र.	मंडल का नाम	कार्य
१.	विधान मंडल	
२.	कार्यकारी मंडल	
३.	न्यायपालिका	

३. निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट करो ।

(१) भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है ।

(२) संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को बड़ा महत्त्व प्राप्त है ।

४. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखो ।

(१) उत्तरदायी शासन प्रणाली किसे कहते हैं ?

(२) अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ स्पष्ट करो ।

५. विरोधी दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण क्यों होती है ? इस बारे में अपना मत लिखो ।

उपक्रम

दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखकर उसके निरीक्षण लिखो ।

9KXJYH

२. भारत की संसद

संसद भवन, नई दिल्ली

हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद महत्त्वपूर्ण है । प्रस्तुत पाठ में भारत की संसद का अध्ययन करेंगे ।

भारत की संसद की निर्मिति संविधान द्‌वारा हुई है । राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात संघ शासन प्रणाली के विधान मंडल को 'संसद' कहा जाता है । उसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है । राष्ट्रपति भारत की संसद के अविभाज्य घटक हैं परंतु वे सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते ।

ढूँढ़ो

घटक राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें मिलती हैं । चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य का भौगोलिक चुनाव क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है । चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या सामान्यतः समान रहती है ।

विविध राज्यों की लोकसभा में कितनी सीटें हैं; यह अंतरजाल (इंटरनेट) के माध्यम से ढूँढ़ो । उदा.,

महाराष्ट्र : ४८ सीटें
गुजरात :
मध्यप्रदेश :
उत्तरप्रदेश :
गोवा :

संसद के दोनों सदनों को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है ।

लोकसभा : भारतीय संसद के कनिष्ठ और प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है । लोकसभा संसद का वह सदन है जहाँ प्रतिनिधि लोगों द्‌वारा सीधे चुनकर आते हैं । इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है ।

लोकसभा में भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्धति द्‌वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है । लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । लोकसभा के चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं । ये चुनाव सार्वत्रिक चुनाव भी कहे जाते हैं । कई बार पाँच वर्ष पूर्ण होने से पहले लोकसभा को विसर्जित करने के कई उदाहरण हैं । ऐसे समय करवाए गए चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं ।

लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन है । संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या ५५२ होती है । हमारे देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है तथा एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर राष्ट्रपति इस समाज के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं ।

राज्यसभा : राज्यसभा को भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्‌वितीय सदन कहा जाता है । राज्यसभा भारतीय संसद का वह सदन है, जहाँ प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं । राज्यसभा भारतीय संघ राज्य के २९ घटक राज्य और ७ संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है । इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा में घटक राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं ।

ये भी जानकारी रखिए !

मेरी : क्या मैं दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ ?
राधिका : नहीं ! जब तुम १८ साल की होगी, तब तुम मतदान कर सकती हो, पर चुनाव नहीं लड़ सकती ।
रणवीर : अरे, तुम्हें पता है ना कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आयु २५ वर्ष पूर्ण होनी चाहिए ।
शबाना : अपने पड़ोसी देश के व्यक्ति ने लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहा तो ?
मुस्कान : यह कैसे संभव है ? वह व्यक्ति भारत का नागरिक है क्या ?
प्रणव : मान लो, मुझे केरल से चुनाव लड़ना है, तो क्या यह संभव है ?
राधिका : हाँ, क्योंकि अपने अध्यापक महोदय ने कहा था कि, लोकसभा के लिए हम किसी भी राज्य के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं ।
मृणाल : आयु तथा नागरिकत्व से संबंधित शर्तों की जानकारी मिली । पर चुनाव लड़ने के लिए किसे अयोग्य मानना चाहिए ?
मेरी : योग्यता की तरह अयोग्यता की भी कुछ शर्तें होंगी । चलो, अपने अध्यापकों से जानकारी लेंगे ।

राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या २५० है । इसमें २३८ सदस्य विविध घटक राज्यों और संघशासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं । राज्यसभा में प्रत्येक घटक राज्यों की सदस्य संख्या एक समान नहीं होती । जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रहता है और १२ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं । साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीड़ा और सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति अथवा उसका विशेष ज्ञान प्राप्त किए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को राज्यसभा पर मनोनीत किया जाता है । राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है ।

राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होती, इसलिए उसे स्थायी सदन माना जाता है अर्थात हर दो साल बाद राज्यसभा का ६ वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किए हुए १/३ सदस्य निवृत्त होते हैं और फिर से उतने ही सदस्यों का चुनाव होता है । चरणबद्ध और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त होने से राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है । राज्यसभा का चुनाव लड़नेवाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए । उसकी आयु ३० वर्ष पूर्ण होनी चाहिए ।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को 'सांसद' कहा जाता है । सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न, समस्याएँ लोकसभा में प्रस्तुत कर उन्हें हल करवाने की कोशिश करते हैं । चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें विकास राशि दी जाती है ।

संसद के कार्य : भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उनके कार्यों का अवलोकन करेंगे ।

विधि निर्माण : लोगों के हितों और कल्याण के लिए और संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए संसद को अनेक नये कानूनों का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही कालबाह्य कानून रद्द करने पड़ते हैं । कुछ कानूनों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं । संविधान में ही कानून निर्मिति की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है । उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक अथवा मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करती है ।

मंत्रिमंडल पर नियंत्रण : संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है । संसद का उसपर नियंत्रण रहता है । नियंत्रण रखने के विविध विकल्प उसके पास उपलब्ध रहते

बताओ तो ?

जो कानून कालबाह्य हुए; इसलिए वे रद्द किए गए हैं, क्या कुछ ऐसे कानूनों के उदाहरण तुम दे सकते हो ? उदा., रियासतदारों के वेतन

हैं । संसद को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह देखने का दायित्व संसद पर होता है ।

संविधान संशोधन : भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने हों तो, संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है । संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण रहता है । संसद उसकी आवश्यकता पर चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, इसका निर्णय लेती है । भारत के संविधान में संशोधन करने की निम्न पद्धतियाँ हैं । (१) भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से बदल दिए जाते हैं । (२) कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत (२/३) की आवश्यकता रहती है । (३) कुछ प्रावधान विशेष बहुमत तथा आधे घटक राज्यों की मान्यताओं से बदल दिए जाते हैं ।

लोकसभा के अध्यक्ष : लोकसभा के चुनाव के बाद पहली सभा में लोकसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं तथा और एक सदस्य की 'उपाध्यक्ष' के रूप में नियुक्ति की जाती है । लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में लोकसभा की कार्यवाही होती है ।

लोकसभा भारतीय जनता का और अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं । अध्यक्ष के पद पर चयन होने के बाद अध्यक्ष को निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही चलानी पड़ती है । लोकसभा के सदस्यों को लोकप्रतिनिधि के रूप में कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं । अध्यक्ष द्‌वारा उसकी रक्षा की जाती है । अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना, संसद की गरिमा बनाए रखना, कार्यवाही विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करके उसे चलाना आदि कार्य करने पड़ते हैं ।

राज्यसभा के अध्यक्ष : राज्यसभा का पूरा कार्य उसके अध्यक्ष के नियंत्रण में चलता है । भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते है । राज्यसभा के अध्यक्ष को भी सदन में अनुशासन बनाए रखना, चर्चा का आयोजन करना, सदस्यों को बोलने का अवसर देना आदि कार्य करने पड़ते हैं ।

ये भी जानकारी रखिए !

लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों को समान अधिकार हैं । परंतु कुछ अधिकार ऐसे भी हैं, जो लोकसभा को हैं पर राज्यसभा को नहीं हैं । उदा., करविषयक अधिकार पैसों से संबंधित होते हैं । उससे संबंधित प्रस्ताव 'वित्तीय' माने जाते हैं और ऐसे सभी प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और वहाँ उसे मंजूरी दी जाती है । राज्यसभा को इस संदर्भ में बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं । कुछ अधिकार राज्यसभा को हैं, पर लोकसभा को नहीं हैं । उदा., राज्यसूची में निहित किसी विषय पर राष्ट्रहित की दृष्टि से संसद द्‌वारा कानून बनाया जाए ऐसा महसूस होने पर राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है ।

संसद कानून कैसे बनाती है ?

अपने देश में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है । कानून बनाने के लिए विशेष पद्धति को स्वीकार किया गया है । उस पद्धति को 'विधि निर्माण की प्रक्रिया' कहा जाता है ।

सबसे पहले कानून का कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है । इस कच्चे मसौदे या प्रारूप को कानून का प्रस्ताव या विधेयक कहते हैं ।

संसद के सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं । (१) वित्त विधेयक (२) साधारण विधेयक ।

विधेयक को कानून में परिवर्तन करने की निम्न प्रक्रिया है ।

प्रथम पठन : संबंधित विभाग का मंत्री अथवा संसद सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है । विधेयक प्रस्तुत करते समय उसका स्वरूप संक्षेप में स्पष्ट करता है । इसे विधेयक का 'प्रथम पठन' कहा जाता है ।

द्‌वितीय पठन : द्‌वितीय पठन के दो चरण होते हैं । पहले चरण में विधेयक के उद्‌देश्यों पर चर्चा की जाती है । सदन के सदस्य विधेयक के बारे में अपना

मत व्यक्त करते हैं । विधेयक के समर्थक विधेयक का समर्थन करते हुए अपना मत व्यक्त करते हैं तो उसका विरोध करनेवाले विधेयक में जो कमियाँ और दोष हैं उन्हें स्पष्ट करते हैं । सदन में विधेयक पर चर्चा होने के पश्चात आवश्यकता महसूस होने पर विधेयक एक समिति को भेज दिया जाता है । समिति उस विधेयक को निर्दोष बनाने के लिए सूचना और संशोधन का प्रतिवेदन सदन को भेज देती है ।

उसके पश्चात द्वितीय पठन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है । इस चरण में विधेयक की धाराओं पर चर्चा होती है । सदस्य कुछ संशोधन सुझा सकते हैं । तत्पश्चात उसपर सदन में मतदान लिया जाता है ।

तृतीय पठन : तृतीय पठन के समय विधेयक पर फिर से संक्षेप में चर्चा की जाती है । विधेयक के मंजूरी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है । विधेयक को आवश्यक बहुमत से मंजूरी मिलने पर सदन द्वारा विधेयक पारित हुआ; ऐसा माना जाता है ।

- संसद के दूसरे सदन में भी विधेयक उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं से गुजरता है । दोनों सदनों द्वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के पश्चात उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है ।
- केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को लेकर मतभेद होने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में उसका भविष्य निश्चित किया जाता है । राष्ट्रपति के सम्मतिदर्शक हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक का कानून में परिवर्तन होता है और कानून तैयार होता है ।

इसकी भी जानकारी लीजिए :

- प्रतिवर्ष फरवरी माह में वित्तमंत्री लोकसभा में देश का बजट प्रस्तुत करते हैं ।
- राज्यों के विधान मंडलों में भी कानून बनाते समय संसद की तरह पद्धति स्वीकार की जाती है। राज्य विधान मंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर विधेयक पर राज्यपाल के सम्मतिदर्शक हस्ताक्षर होने के पश्चात विधेयक का कानून में परिवर्तन होता है ।

स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो ।

(१) लोकसभा में ..... पद्धति से प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है ।
(अ) भौगोलिक चुनाव क्षेत्र (ब) धार्मिक चुनाव क्षेत्र (क) स्थानीय स्वशासन संस्था चुनाव क्षेत्र (ड) अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति

(२) भारत के ..... राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं ।
(अ) राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति
(क) प्रधानमंत्री (ड) प्रधान न्यायाधीश

२. ढूँढ़ो और लिखो ।

(१) लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को इस शब्द से संबोधित किया जाता है ..... ।
(२) विधि निर्माण का दायित्व इनका है ..... ।

३. निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट करो ।

(१) राज्यसभा स्थायी सदन है ।
(२) लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है ।

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखो ।

(१) लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ?
(२) लोकसभा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो ।

५. विधि निर्माण प्रक्रिया के चरण स्पष्ट करो ।

उपक्रम

राष्ट्रपति राज्यसभा में १२ सदस्यों को मनोनीत करते हैं । इन सदस्यों का चुनाव करने के लिए कौन-कौन-से मापदंड अपनाए जाते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

9L7G1J

३. केंद्रीय कार्यकारी मंडल

पिछले पाठ में हमने केंद्रीय स्तर पर विधान मंडल अर्थात संसद की रचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया । प्रस्तुत पाठ में हम केंद्रीय कार्यकारी मंडल का अध्ययन करने वाले हैं ।

संघ शासन की संरचना : संघ शासन अर्थात केंद्र शासन । संघ शासन के निम्न मुख्य घटक हैं ।

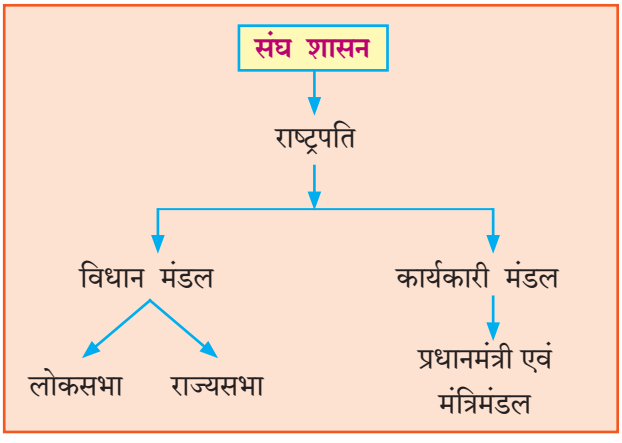

विधान मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायमंडल ये शासन संस्थाओं की तीन शाखाएँ है और जनता का हित ध्यान में रखकर जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, यह आप जानते ही हैं । संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल का ही अंग होता है और वह विधान मंडल के लिए ही उत्तरदायी होता है ।

रमा : राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं । दोनों पदों पर काम करनेवाले व्यक्तियों में किस प्रकार के संबंध रहते हैं?

विद्या : मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियमित रूप से मिलते हैं और वे शासन किस प्रकार चलाते हैं, इसकी जानकारी देते हैं ।

हाँ ! यह सही है । प्रधानमंत्री देश का शासन और नये-नये कानून, नीतियों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं अर्थात यह जानकारी प्राप्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार है ।

इस कार्यकारी मंडल में किनका समावेश रहता है, संविधान में इस संदर्भ में कौन-से प्रावधान किए गए हैं, कार्यकारी मंडल लोगों के हितों के लिए कैसी नीतियाँ बनाता है आदि बातों की हमें कार्यकारी मंडल का अध्ययन करते समय जानकारी प्राप्त करनी है ।

भारत के केंद्रीय कार्यकारी मंडल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश रहता है ।

राष्ट्रपति : भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख है । राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है और वे गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । संविधान ने राष्ट्रपति को देश की संपूर्ण कार्यकारी सत्ता दी है । देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है । ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही शासन चलाता है । इसलिए राष्ट्रपति नामधारी संवैधानिक प्रमुख है तो प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख है ।

राष्ट्रपति का चुनाव : राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा किया जाता है । भारत के आम मतदाता राष्ट्रपति का सीधा चुनाव नहीं करते बल्कि उनके द्वारा चुने गए संसद सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है । संसद सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्यों के गुट को निर्वाचन मंडल कहा जाता है ।

राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़नेवाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए । उसकी आयु ३५ वर्ष पूर्ण होनी चाहिए । राष्ट्रपति पद पर चुने गए व्यक्ति को अपना पद स्वीकारते समय शपथ लेनी पड़ती है । उसके अनुसार संविधान की रक्षा करना और संविधान के अनुसार शासन चलता है या नहीं यह देखने की

जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है । प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति शासन चलाते हैं ।

संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, परंतु अगर राष्ट्रपति का कोई आचरण संविधान का उल्लंघन करनेवाला हो तो उन्हें पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है । इस प्रक्रिया को 'महाभियोग' प्रक्रिया कहा जाता है । यदि राष्ट्रपति से संविधान का उल्लंघन हुआ हो या किसी सदन द्‌वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है तो दूसरे सदन द्‌वारा उन आरोपों की जाँच-पड़ताल की जाती है । दोनों सदनों के विशेष बहुमत (२/३) से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है । तत्पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से दूर होते हैं ।

राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार : संविधान द्‌वारा राष्ट्रपति को कई कार्य प्रदान किए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(१) राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा के पूर्णावधि के बाद या समय से पहले बरखास्त करना ये सभी अधिकार प्राप्त है ।

(२) लोकसभा और राज्यसभा द्‌वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । उनके हस्ताक्षर के बिना विधेयक का कानून में परिवर्तन नहीं होता ।

(३) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनके द्‌वारा सुझाए गए व्यक्तियों की मंत्री पद पर नियुक्ति करते हैं ।

(४) राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । साथ ही; सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य महत्त्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं ।

(५) राष्ट्रपति भारत के तीनों रक्षा दलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं । युद्‌ध और शांतिसंबंधी सभी निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं ।

(६) राष्ट्रपति को कुछ न्यायालयीन अधिकार भी प्राप्त हैं । उदा., किसी व्यक्ति की सजा घटाना, सजा की तीव्रता कम करना अथवा अपवादात्मक परिस्थिति में मानवतावादी भूमिका से सजा कम करने का या रद्‌द करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है ।

(७) देश में आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है । संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं । (१) राष्ट्रीय आपातकाल (२) राज्यों में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन (३) आर्थिक आपातकाल ।

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं । उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्‌वारा किया जाता है ।

करके देखें-

राष्ट्रपति को दी जाने वाली शपथ का मसौदा प्राप्त करो । अध्यापकों की मदद से उसका आशय समझ लो ।

प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल : राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं । उनके पास नाममात्र सत्ता रहती है, और प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शासन चलाते हैं, ये हम सब जानते हैं । प्रधानमंत्री कौन-से कार्य और भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, यह अब हम देखेंगे ।

चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है; वह दल अपने नेता का प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव करता है । इसी दल के विश्वासपात्र सहयोगियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं । प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक होता है । न होने पर उन्हें छह माह के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है । प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सही अर्थ में शासन चलाते हैं । इसका अर्थ यह है कि, शासन की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है ।

प्रधानमंत्री के कार्य

(१) प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं । प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विश्वासपात्र सहयोगियों को प्राथमिकता देते हैं पर उसके साथ मंत्रियों का चयन करते समय उनका प्रशासकीय अनुभव, शासन कौशल, कार्यक्षमता, विषयज्ञान आदि बातों का भी विचार करते हैं ।

(२) मंत्रिमंडल में किनका समावेश करना है; यह तय होने के बाद प्रधानमंत्री उनको विभागों का वितरण करते हैं ।

(३) प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते है । मंत्रिमंडल की सभी सभाएँ उनकी अध्यक्षता में होती हैं ।

(४) विभागों का वितरण करने के पश्चात प्रधानमंत्री को विविध विभागों में समन्वय रखना, परस्पर सहकारिता को बढ़ावा देना, विभागों का कार्य पूरी कार्यक्षमता में होता है या नहीं यह देखना आदि कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं ।

(५) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा को बढ़ाना, वैश्विक जनमत को अपने अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करना, देश की जनता को आश्वस्त करना, आपदा समय में आपदग्रस्तों की सहायता करना आदि कार्यों का प्रधानमंत्री को निर्वाह करना पड़ता है ।

मंत्रिमंडल के कार्य

(१) संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कानून निर्मिति में अग्रसर रहता है । उसका प्रारूप तैयार करके उसपर चर्चा की जाती है । और तत्पश्चात उसे संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाता है । मंत्रिमंडल सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके निर्णय लेता है ।

(२) मंत्रिमंडल को शिक्षा, कृषि, उद्‌योग, स्वास्थ्य, विदेश व्यवहार आदि अनेक विषयों पर एक निश्चित नीति अथवा कार्य की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है । मंत्रिमंडल द्‌वारा निर्धारित नीति के संबंध में संसद को विश्वास में लेना पड़ता है । इसलिए मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विभाग की नीति को संसद में प्रस्तुत कर उसे संसद की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं ।

(३) मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी नीतियाँ कार्यान्वित करने की होती है । संसद द्‌वारा उन नीतियों को या कानून प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने पर मंत्रिमंडल उसे अमल में लाता है ।

क्या तुम जानते हो ?

क्या तुमने 'जंबो' मंत्रिमंडल शब्द सुना है ? इसका अर्थ है - बहुत बड़ा मंत्रिमंडल । अपने देश में मंत्रिमंडल का आकार बड़ा रखने की तरफ ध्यान दिया जाता है । मंत्रिमंडल का आकार सीमित हो, इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया । उसके अनुसार मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के १५% से अधिक नहीं होगी, ऐसा निश्चित किया गया है ।

संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है?

संसदीय शासन प्रणाली में संसद का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न रहता है । कानून अथवा नीतियों की निर्मिति, उसे अमल में लाना और उसके पश्चात संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है । इस नियंत्रण के कुछ उपाय इस प्रकार है :

(१) चर्चा और विचार-विमर्श : कानून बनाते समय संसद सदस्य चर्चा और विचार-विमर्श करके मंत्रिमंडल को उनकी नीतियों और कानून में निहित कमियाँ दिखाते हैं । कानून को निर्दोष बनाने की दृष्टि से यह चर्चा बहुत महत्त्वपूर्ण होती है ।

(२) प्रश्नकाल : संसद सत्र के समय सदन की कार्यवाही की शुरुआत संसद सदस्यों द्‌वारा पूछे गए प्रश्नों से होती है । इन प्रश्नों को संबंधित मंत्रियों द्‌वारा संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक है । प्रश्नकाल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है । शासन की आलोचना करना, प्रश्न उपस्थित करना यह इसी समय होता है । मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विवाद उत्पन्न

हो सकता है । अपना निषेध व्यक्त करने हेतु कुछ समय के लिए संसद सदस्य सभात्याग करते हैं अथवा घोषणा देते हुए सदन के बीच स्थान में इकट्ठा होते हैं ।

(३) शून्यकाल : अधिवेशन सत्र के समय दोपहर १२ बजे का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है । इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है ।

(४) अविश्वास प्रस्ताव : मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है । लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत है, तब तक सरकार कार्य कर सकती है । यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अथवा मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता । संसद सदस्य, 'हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा' कहकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । अगर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है ।

बताओ तो ?

संसद सदस्यों को चर्चा में प्रभावी रूप में सहभागी होने के लिए क्या करना चाहिए ?

कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में व्यापक नौकरशाही होती है । नौकरशाही की संरचना का अध्ययन हम छठे प्रकरण में करने वाले हैं ।

स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो ।

(१) भारत की कार्यकारी सत्ता ..... के पास होती है ।
(राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष)

(२) राष्ट्रपति का कार्यकाल ..... वर्ष का होता है ।
(तीन, चार, पाँच)

(३) मंत्रिमंडल का नेतृत्व ..... करते हैं ।
(पार्टी प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति)

२. पहचानो और लिखो ।

(१) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का भारत के जिस मंडल में समावेश होता है, उस मंडल का नाम –

(२) अधिवेशन सत्र में दोपहर १२ बजे का समय इस नाम से जाना जाता है –

३. निम्न संकल्पनाएँ अपने शब्दों में लिखो ।

(१) महाभियोग प्रक्रिया (२) अविश्वास प्रस्ताव

(३) जंबो मंत्रिमंडल

४. संक्षेप में उत्तर लिखो ।

(१) मंत्रिमंडल के कार्य स्पष्ट करो ।

(२) संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है ?

५. निम्न संकल्पनाचित्र पूर्ण करो ।

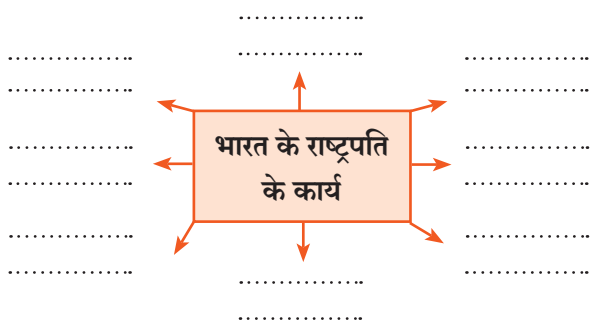

उपक्रम

(१) अगर तुम प्रधानमंत्री बन जाओ तो तुम किन कार्यों को प्राथमिकता दोगे, उनकी प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करो ।

(२) भारत के राष्ट्रपतियों के चित्र और जानकारी प्राप्त करो ।

9LGC37

४. भारत की न्यायपालिका

विधान मंडल और कार्यकारी मंडल के साथ न्यायमंडल भी शासन संस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । विधान मंडल द्‌वारा कानून बनाए जाते हैं । कार्यकारी मंडल उसका कार्यान्वयन करता है तथा न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है । प्रस्तुत पाठ में हम न्यायपालिका द्‌वारा न्यायदान कैसे किया जाता है, जिससे समाज में निहित अन्याय दूर होकर सामाजिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है; उसपर विचार करनेवाले हैं । उससे पहले हम न्यायदान की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी जानकारी लेंगे ।

व्यक्ति-व्यक्ति में विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएँ, श्रद्‌धा, संस्कृति आदि को लेकर भिन्नता होती है । एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखने पर संघर्ष नहीं होता । परंतु मतभिन्नता बहुत अधिक बढ़ने पर इससे संघर्ष उत्पन्न होता है और ऐसे समय उसका निष्पक्ष दृष्टि से निराकरण करने के लिए कानून का सहारा लेने की आवश्यकता होती है । इसलिए न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता होती है ।

- व्यक्ति और शासन संस्था में भी हितसंबंधों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है । जब लोगों को शासन का कोई निर्णय अथवा कानून अन्यायकारक लगता है, तब वे उसके विरोध में न्यायालय में न्याय माँग सकते हैं ।
- सरकार संविधान में निहित न्याय और समता इन उद्‌देश्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने का प्रयत्न करती है, उसी प्रकार न्यायव्यवस्था भी कुछ फैसलों द्‌वारा अथवा सक्रिय भूमिका लेकर सरकार को समर्थन दे सकती है । समाज के दुर्बल वर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और किन्नरों (transgender) आदि समाज वर्गों को न्यायालय मुख्य प्रवाह में लाने के लिए मदद कर सकता है ।
- स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र के लाभ जब साधारण मनुष्यों को मिलते हैं, तब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई और बढ़ जाती है । लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है । कानून का अधिराज्य न्यायपालिका के कारण सुरक्षित रहता है । अमीर-गरीब, प्रगत-अप्रगत, स्त्री-पुरुष इन सभी के लिए कानून समान रहता है, यह न्यायदान से स्पष्ट होता है ।
- न्यायदान से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है । कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है और किसी भी गुट, व्यक्ति की दमन/दबाव की नीति अथवा तानाशाही के उत्पन्न होने पर रोक लगाई जाती है ।

न्यायपालिका की रचना : भारत एक संघराज्य है और प्रत्येक संघराज्य का स्वतंत्र विधान मंडल और कार्यकारी मंडल है परंतु न्यायपालिका मात्र संपूर्ण देश के लिए एक ही है । उसमें केंद्र और राज्य; ऐसा कोई स्वतंत्र विभाजन नहीं है । इसका अर्थ यह है कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकात्म है । इस न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय है । उच्चतम न्यायालय के बाद के स्तर पर उच्च न्यायालय हैं, तथा उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय और उसके पश्चात दुय्यम न्यायालय है ।

उच्चतम न्यायालय : भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं । राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की 'मुख्य न्यायाधीश' के पद पर नियुक्ति की जाए, ऐसा संकेत/परंपरा है ।

न्यायदान का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए । न्यायाधीश निर्भय रूप से न्यायदान करें, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया जाता है । इसके लिए

भारत का उच्चतम न्यायालय–नई दिल्ली

संविधान ने निम्न प्रावधान किए हैं ।

- संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता की शर्तें स्पष्ट की हैं । इन पदों के लिए कुशल विधि वेत्ता, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद का अथवा वकालत का अनुभव प्राप्त व्यक्ति योग्य माना जाता है ।
- राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । इससे राजनीतिक दबाव को दूर रख सकते हैं ।
- न्यायाधीशों को सेवा की गारंटी होती है । सामान्य कारणों से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ६२ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अवकाश ग्रहण करते हैं ।
- न्यायाधीशों का वेतन भारत की अर्जित निधि से दिया जाता है और उसपर संसद में चर्चा नहीं होती है ।
- न्यायाधीशों की कृति और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते । न्यायालय की अवमानना करना यह भी एक अपराध माना जाता है और उसके लिए सजा दी जाती है । इस प्रावधान के कारण न्यायाधीशों को अनुचित आलोचना से संरक्षण तो मिलता ही है, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है ।
- संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है परंतु न्यायाधीशों को पद से हटाने का और उनपर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का अधिकार है ।

न्यायालय की सक्रियता : न्यायालय में अगर कोई विवाद आता है, तो उसे न्यायालय द्‌वारा हल किया जाता है, ऐसी न्यायालय के बारे में पारंपरिक छवि है । पिछले कुछ दशकों से न्यायालय की इस छवि में परिवर्तन हुआ है और न्यायालय सक्रिय हुए हैं । इसका अर्थ है कि न्यायालय अब संविधान में निहित न्याय, समता जैसे उद्‌देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं । समाज के दुर्बल वर्गों, महिला, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को कानून द्‌वारा संरक्षण देने का प्रयत्न न्यायालय द्‌वारा किया गया है । इसके लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है ।

उच्चतम न्यायालय के कार्य

- संघराज्य के न्यायालय की भूमिका के रूप में केंद्र शासन और घटक राज्य, घटक राज्य और घटक राज्य, केंद्र शासन एवं घटक राज्य और घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना ।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए आदेश देना ।
- कनिष्ठ न्यायालय द्‌वारा दिए गए निर्णयों पर भी पुनर्विचार करना ।
- राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर संवैधानिक परामर्श माँगते हैं तो उन्हें सलाह देना ।

बताओ तो ?

राष्ट्रपति किसी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्यों माँगते हैं ?

परिच्छेद पढ़ो और लिखो :

न्यायालयीन पुनर्विलोकन : उच्चतम न्यायालय पर और एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है- संविधान का संरक्षण करना । संविधान देश का मौलिक कानून है, यह तुम जानते हो । इस कानून का उल्लंघन होगा या उसका विरोधी कानून संसद नहीं बना सकती । कार्यकारी मंडल की प्रत्येक नीति और कृति का संविधान से सुसंगति रखना जरूरी है । संसद का कोई कानून या कार्यकारी मंडल की किसी कृति से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कृति को असंवैधानिक अथवा गैरकानूनी मानकर उसे रद्द कर देता है । न्यायालय के इस अधिकार को पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है ।

* क्या न्यायालय को ऐसा अधिकार होना चाहिए ?

यह उदाहरण देखो –

न्यायालय ने चुनाव में खड़े रहनेवाले प्रत्याशियों को उनकी संपत्ति और आय तथा शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी शपथपत्र द्वारा देने के लिए कहा था । प्रत्याशियों की सही जानकारी के आधार पर मतदाता मतदान कर सके, यह उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य था । क्या अपनी चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने का यह प्रयत्न नहीं है?

इस संदर्भ में न्यायालय ने क्या और कोई आदेश दिए हैं ? इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयत्नशील नागरिक, सामाजिक संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपूर्ण जनता की ओर से न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है, उसे 'जनहित याचिका' कहा जाता है । न्यायालय इस पर विचार करके निर्णय देता है ।

उच्च न्यायालय : भारतीय संविधान में निहित प्रत्येक घटक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया है । वर्तमान समय में अपने देश में २४ उच्च न्यायालय हैं ।

उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं ।

राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ।

करके देखो–

मुंबई उच्च न्यायालय दो राज्यों- महाराष्ट्र और गोआ तथा दादरा नगर हवेली और दीव-दमण केंद्रशासित प्रदेशों के लिए है । एक से अधिक राज्यों के लिए कार्यरत उच्च न्यायालय के और दो उदाहरण ढूँढ़ो ।

उच्च न्यायालय के कार्य

* अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का और देखरेख का अधिकार ।
* मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश देने का अधिकार ।
* जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालय : जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों से लोगों का हमेशा संबंध आता है । प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश होता है ।

भारत की कानून पद्धति की शाखाएँ : कानून पद्धति की दो प्रमुख शाखाएँ हैं ।

(१) दीवानी कानून (२) फौजदारी (आपराधिक) कानून

दीवानी कानून : लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद इस कानून के अंतर्गत आते हैं ।

उदा., जमीन से संबंधित विवाद, भाड़ा पट्टा, विवाह विच्छेद आदि । संबंधित न्यायालयों में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय उसपर निर्णय देता है ।

फौजदारी (आपराधिक) कानून : फौजदारी कानून के सहारे गंभीर स्वरूप के अपराधों को हल किया जाता है । उदा., चोरी, डकैती, दहेज के लिए शारीरिक यातनाएँ देना, हत्या आदि । इन अपराधों के लिए सबसे पहले पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किया जाता है । पुलिस उसकी जाँच करती है । उसके बाद अदालत में मुकदमा दायर होता है । अपराध सिद्ध होने पर सजा का स्वरूप गंभीर रहता है ।

भारतीय न्याय व्यवस्था का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है । सामान्य लोगों में भी न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है । भारत की न्यायपालिका ने व्यक्ति स्वतंत्रता, संघराज्य और संविधान की रक्षा की है । भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में न्यायालय का बड़ा योगदान है ।

स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो ।

(१) कानून की निर्मिति ..... द्वारा की जाती है ।
(अ) विधान मंडल (ब) मंत्रिमंडल
(क) न्यायपालिका (ड) कार्यकारी मंडल

(२) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ..... करते हैं ।
(अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपति
(क) गृहमंत्री (ड) मुख्य न्यायाधीश

२. निम्न संकल्पनाएँ स्पष्ट करो ।

(१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन
(२) जनहित याचिका

३. टिप्पणी लिखो ।

(१) दीवानी और फौजदारी कानून
(२) न्यायालयीन सक्रियता

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो ।

(१) समाज में कानून की आवश्यकता क्यों होती है ?
(२) उच्चतम न्यायालय के कार्य स्पष्ट कीजिए ।
(३) भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन-से प्रावधान किए गए हैं?

५. निम्न सारिणी पूर्ण करो ।

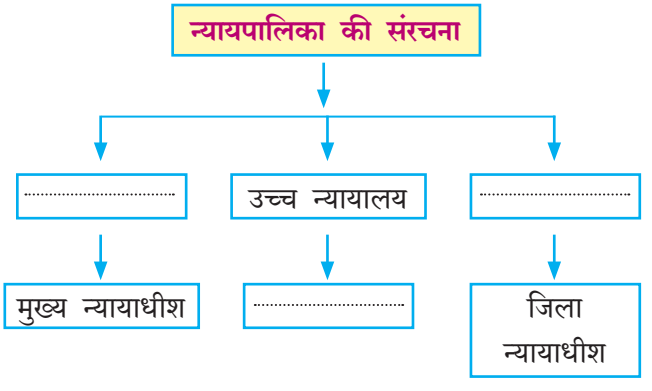

उपक्रम

(१) तुम्हारे स्कूल में 'अभिरूप न्यायालय' का आयोजन करके विविध जनहित याचिकाओं के प्रश्न तैयार करो और अभिरूप न्यायालय में पूछो ।

(२) अध्यापकों की मदद से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) कैसे दर्ज करें, उसकी प्रक्रिया नजदीकी पुलिस थाने में जाकर समझो ।

9LQ84U

५. राज्य सरकार

पिछले पाठ तक हमने केंद्र सरकार की संसद और कार्यकारी मंडल का स्वरूप आदि की जानकारी प्राप्त की । भारत की एकात्म न्यायपालिका का परिचय प्राप्त किया । प्रस्तुत पाठ में हम घटक राज्यों अथवा राज्य सरकार की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

संघराज्य व्यवस्था में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ कार्यरत रहती हैं । राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है । भारत में २९ घटक राज्य हैं और वहाँ का शासन वहाँ की राज्य सरकार द्‌वारा चलाया जाता है ।

पृष्ठभूमि : भारत का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार बहुत बड़ा है और जनसंख्या का स्वरूप भी बड़ा है । भाषा, धर्म, रूढ़ि-परंपरा और प्रादेशिक स्वरूप में भी विविधता है । ऐसे समय एक ही अर्थात केंद्रीय स्थान से शासन चलाना कठिन है, इस बात पर विचार करके संविधान ने भारत के लिए संघराज्य व्यवस्था को स्वीकार किया । भाषा के आधार पर घटक राज्यों की निर्मिति करना निश्चित हुआ और उसके अनुसार भाषावार प्रांत रचना हुई ।

भारत के सभी घटक राज्यों की शासन व्यवस्था का राजनीतिक स्वरूप एक समान है । अपवाद केवल जम्मू और कश्मीर का है । महाराष्ट्र के संदर्भ में हम घटक राज्यों की शासन संस्थाओं का स्वरूप जानेंगे।

क्या तुम जानते हो ?

भारत में २९ घटक राज्य और विधान सभाओं की संख्या ३१ है क्योंकि दिल्ली और पुदुच्चेरी इन केंद्रशासित प्रदेशों में विधान सभा अस्तित्व में है ।

राज्य सरकार का विधि मंडल : केंद्र की संसद की तरह राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का विधि मंडल है । केवल सात राज्यों का विधि मंडल दो सदनों का है । उनमें महाराष्ट्र का भी समावेश है । विधि मंडल के सदस्यों को विधान सभा सदस्य कहा जाता है ।

महाराष्ट्र का विधिमंडल : महाराष्ट्र में विधान सभा और विधान परिषद दो सदन हैं ।

विधान भवन, मुंबई

विधान सभा : महाराष्ट्र विधि मंडल का प्रथम सदन है और उसकी सदस्य संख्या २८८ है । एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल इस समाज के एक प्रतिनिधि को विधान सभा पर नियुक्त करते हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं । चुनाव के लिए पूर्ण महाराष्ट्र का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया गया है । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है ।

विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । अपवादात्मक स्थिति में, निर्धारित समय से पहले भी चुनाव लिये जा सकते हैं ।

जिसकी आयु २५ वर्ष पूर्ण हुई है, ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जिसका महाराष्ट्र में निवास है, वह विधान सभा का चुनाव लड़ सकता है ।

विधान सभा अध्यक्ष : विधान सभा की कार्यवाही अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में होती है । चुनाव के बाद बनी नयी विधानसभा के सदस्य

अपने में से एक का अध्यक्ष और एक का उपाध्यक्ष पद पर चयन करते हैं । अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से हो; इसलिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने से लेकर असंसदीय आचरण करनेवाले सदस्यों को सदन से निलंबित करने तक के कार्य करने पड़ते हैं । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सभी कार्य उपाध्यक्ष पूर्ण करते हैं ।

महाराष्ट्र विधि मंडल के वर्ष में कम-से-कम तीन अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं । बजट विषयक और मानसून सत्र मुंबई में और शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है ।

विधान परिषद : महाराष्ट्र विधिमंडल का यह दूसरा सदन है । इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में समाज के विविध घटकों द्वारा किया जाता है । महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों की संख्या ७८ है। इसमें राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा जैसे क्षेत्रों से तज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं और अन्य प्रतिनिधि विधान सभा, स्थानीय शासन संस्था, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं ।

विधान परिषद पूर्णतः विसर्जित नहीं होती । इसमें निर्धारित सदस्य हर दो साल बाद अवकाश प्राप्त करते हैं और उतनी ही सीटों के लिए चुनाव होकर वे पद भरे जाते हैं । विधान परिषद की कार्यवाही विधान परिषद के अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में चलती है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस दायित्व का निर्वहन करते हैं ।

महाराष्ट्र का कार्यकारी मंडल : महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है ।

राज्यपाल : केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार घटक राज्य के स्तर पर राज्यपाल नामधारी प्रमुख होते हैं । राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है । जब तक उनकी इच्छा है, तब तक वे पद पर रह सकते हैं । राज्यपाल को भी कानूनविषयक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । उदा., विधान सभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होता है । विधि मंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है । जब विधि मंडल का सत्र नहीं होता है; तब ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता निर्माण हुई तो राज्यपाल उसका अध्यादेश निकालते हैं ।

मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल : विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है । मुख्यमंत्री अपने विश्वासपात्र सहयोगियों का मंत्रिमंडल में समावेश करते हैं । प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी कार्यकारी प्रमुख होते हैं । राज्य का पूर्ण शासन राज्यपाल के नाम से चलता है परंतु प्रत्यक्ष रूप में राज्य की सरकार को मुख्यमंत्री चलाते हैं ।

मुख्यमंत्री के कार्य

मंत्रिमंडल की निर्मिति : बहुमत सिद्ध करने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं । यह कार्य चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मंत्रिमंडल को अधिकाधिक प्रातिनिधिक बनाने के लिए सभी क्षेत्रों, विविध सामाजिक घटकों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आदि) का समावेश करना पड़ता है । स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं, ऐसे समय मुख्यमंत्री को सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का कठिन कार्य करना पड़ता है।

विभाग वितरण : मंत्रिमंडल बनाने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का वितरण करते हैं । विभाग वितरण करते समय मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल, उनकी लोकभावना को समझने की शक्ति, नेतृत्व आदि बातों पर सोचना

पड़ता है ।

विभागों में समन्वय : मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधान सभा के लिए उत्तरदायी होने के कारण कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होती है । विविध विभागों में आपसी सहकारिता और समन्वय की भावना न हो तो उसका परिणाम सरकार के कार्य पर होता है । इसलिए मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करते हैं या नहीं उसका ध्यान रखना पड़ता है ।

राज्य का नेतृत्व : प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व करते हैं । मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार नई नीतियाँ बनाते हैं । राज्य की जनता मुख्यमंत्री की ओर 'हमारी समस्याएँ सुलझाने वाले व्यक्ति' के रूप में देखती है । राज्य की समस्याओं का तुरंत अनुमान लेकर उसपर सरकार की तरफ से उपाय योजना करने का जब मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं, तब जनता को बड़ी राहत मिलती है ।

महाराष्ट्र राज्य भारत का एक विकसित राज्य है । शिक्षा, उद्‌यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे अग्रसर है । आतंकवादी गतिविधियाँ और कुछ भागों में नक्सलवादी आंदोलन यही अपने राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ हैं ।

स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो ।

(१) महाराष्ट्र विधि मंडल का शीतकालीन सत्र ..... में होता है ।
(अ) मुंबई (ब) नागपुर
(क) पुणे (ड) औरंगाबाद

(२) राज्यपाल की नियुक्ति ..... द्‌वारा की जाती है ।
(अ) मुख्यमंत्री (ब) प्रधानमंत्री
(क) राष्ट्रपति (ड) प्रधान न्यायाधीश

(३) राज्य विधि मंडल का सत्र बुलाने का अधिकार ..... को होता है ।
(अ) मुख्यमंत्री (ब) राज्यपाल
(क) राष्ट्रपति (ड) अध्यक्ष

२. सारिणी पूर्ण करो ।

अ. क्र.	सदन	कार्यकाल	सदस्य संख्या	चुनाव का स्वरूप	प्रमुख
१.	विधान सभा				
२.	विधान परिषद				

३. टिप्पणी लिखो ।

(१) राज्यपाल (२) मुख्यमंत्री के कार्य

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो ।

(१) विधान सभा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो ।
(२) संविधान ने भारत के लिए संघराज्य व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया ?
(३) विभागों का वितरण करते समय मुख्यमंत्री किन बातों पर विचार करते हैं ?

उपक्रम

महाराष्ट्र सरकार के अधिकृत संकेत स्थल पर जाकर विविध मंत्री और उनके विभागों का कार्य आदि की जानकारी प्राप्त करो ।

9LZ46H

६. नौकरशाही

जिलाधिकारी ने जमाबंदी का आदेश दिया ।

नगर निगम आयुक्त ने आय-व्यय पत्रक प्रस्तुत किया ।

वित्त सचिव ने त्यागपत्र दिया ।

क्षेत्रीय आयुक्त राजस्व की समीक्षा करेंगे ।

उपर्युक्त तालिका में जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त, वित्त सचिव, क्षेत्रीय आयुक्त इन पदों का उल्लेख है । सरकार की प्रशासन व्यवस्था में यह प्रशासनिक अधिकारी होते हैं । वे क्या करते हैं ? ऐसा प्रश्न आपको जरूर महसूस हुआ होगा ?

कार्यकारी मंडल की भूमिका को स्पष्ट करनेवाले प्रकरण में हमने यह देखा कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल नया कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करते हैं और नीति निर्धारण करते हैं । सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित करनेवाली और कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रशासकीय व्यवस्था को 'नौकरशाही' कहा जाता है । प्रस्तुत पाठ में हम नौकरशाही के महत्त्व का अध्ययन करेंगे ।

किसी भी देश की शासन संस्था को मूलतः दो प्रकार के कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं ।

(१) देश का विदेशी आक्रमणों और आंतरिक सुरक्षा विषयक खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा करना ।

(२) नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करके उनके दैनिक जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, जिससे वे अपनी और समाज की प्रगति कर सके ।

इसमें से, प्रथम कार्य के लिए देश की रक्षा व्यवस्था हमेशा सुसज्जित रहती है । ये सेवाएँ अंतर्गत सुरक्षा के लिए नागरी सेवा की मदद करती हैं । इन्हीं सेवाओं को हम 'सैन्य सेवा' कहते हैं । दूसरे कार्य के लिए प्रशासकीय व्यवस्था तैयार की जाती है, जिसे हम 'प्रशासकीय सेवा' कहते हैं । प्रशासकीय कर्मचारियों की इस व्यवस्था को हम 'नौकरशाही' भी कहते हैं ।

संसदीय लोकतंत्र में, लोगों द्‌वारा चुने गए प्रतिनिधि और मंत्रियों पर प्रशासकीय उत्तरदायित्व रहता है । विविध विभागों से सरकारी कार्य पूर्ण किए जाते हैं । प्रत्येक विभाग के लिए एक मंत्री होता है, जो उस विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है । जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को अपने विभाग का प्रशासन जनहित को प्रधानता देकर चलाना आवश्यक होता है । मंत्री भले ही अपने विषय में विशेषज्ञ न हो, पर व्यापक जनहित क्या होता है ? इसका ज्ञान होना आवश्यक है । मंत्री के विभाग के सचिव उन्हें उचित परामर्श देते हैं । इन सचिवों की नियुक्ति प्रशासकीय सेवाओं द्‌वारा की जाती है । संसदीय प्रणाली में जनता की इच्छा और प्रशासकीय अनुभव इन दोनों में समन्वय रखा जाता है ।

नौकरशाही का स्वरूप

- **स्थायी व्यवस्था –** इस बड़ी नौकरशाही द्‌वारा राजस्व जमा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जैसे कार्य निरंतर किए जाते हैं । इस कारण इसका स्वरूप स्थायी है । हर चुनाव के पश्चात नये प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सत्ता में आ सकता है परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका स्वरूप स्थायी है ।

- **राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ/राजनीति से दूर :** नौकरशाही हमेशा राजनीति से दूर रहती है ।

इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, नौकरशाही को उस सरकार की नीतियों को पूरी कार्यक्षमता और निष्ठा से अमल में लाना चाहिए । प्रशासनिक कर्मचारी कोई राजनीति भूमिका या राजनीतिक मतानुसार काम न करें । चुनाव में हार जानेपर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है और दूसरा दल सत्ता में आ जाता है और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियाँ बदल सकता है । ऐसी स्थिति में नौकरशाही का यह कर्तव्य है कि वह तटस्थ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे ।

• **अनामिकता/अनामता :** अनामिकता/अनामता का अर्थ है किसी नीति की सफलता-असफलता के लिए सीधे नौकरशाही को उत्तरदायी न मानते हुए उसे अनामिक/अनाम रखना । अपने विभाग के प्रशासन को पूरी कार्यक्षमता से चलाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होता है । किसी विभाग की अकार्यक्षमता के लिए उस विभाग के मंत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है । विभाग की अनियमितता के लिए संसद उस विभाग के मंत्रियों को जिम्मेदार मानती है । इस संदर्भ में मंत्री स्वयं उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और नौकरशाही की रक्षा करते हैं ।

भारत में नौकरशाही का महत्त्व

भारत में नौकरशाही की संरचना बहुत ही व्यापक और पेचीदा है । स्वातंत्र्योत्तर समय से जो कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए, उसे व्यवस्था ने प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया । आज हमें जो अच्छे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को क्रियान्वित करके सामान्य नागरिकों तक पहुँचाए गए हैं, इसमें भारतीय नौकरशाही का बड़ा योगदान रहा है । नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है । जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, प्रदूषण पर रोक जैसी कई सेवाएँ हमें बिना किसी रुकावट के निरंतर मिलती रहती हैं । जिससे समाज के दैनिक जीवन को स्थैर्य प्राप्त होता है ।

दूसरी बात यह है कि नौकरशाही भी समाज परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है । स्त्रियों का सशक्तीकरण, बच्चों की रक्षा, समाज के कमजोर वर्ग के लिए योजनाएँ आदि के विषय में सरकार जो कानून बनाती है, उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने का कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है । नीतियों को क्रियान्वित करने से ही समाज में परिवर्तन होता है ।

सामाजिक लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका महत्त्वपूर्ण है । आरक्षित स्थानों की नीति के कारण कई उपेक्षित समाज घटक मुख्य प्रवाह में शामिल हुए हैं । निर्णय प्रक्रिया में उनके सहभाग में वृद्धि हुई है । समाज का लोकतांत्रिकीकरण होने के लिए प्रगतिशील कानून और नीतियों की आवश्यकता के साथ कार्यकुशल नौकरशाही की भी आवश्यकता होती है ।

प्रशासनिक सेवाओं के प्रकार : भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के तीन प्रकार हैं ।

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवाएँ : इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) का समावेश होता है ।

(२) केंद्रीय सेवाएँ : ये सेवाएँ केंद्र सरकार के अधीन होती हैं । भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS) इन सेवाओं का केंद्रीय सेवाओं में समावेश रहता है ।

(३) राज्य सेवाएँ : ये सेवाएँ राज्य सरकार के अधीन होती हैं । उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार आदि प्रशासनिक अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है ।

भारतीय संविधान ने प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर करने के लिए संघ सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया है । संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा लेकर उम्मीदवारों का चुनाव

करता है और सरकार द्‌वारा उनकी नियुक्ति की जाती है । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) महाराष्ट्र की प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं द्‌वारा उम्मीदवारों का चयन करता है और सरकार को उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है ।

नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को आरक्षण देकर इन सेवाओं में आने का अवसर प्रदान किया गया है । सामाजिक विषमता के कारण समाज के दुर्बल वर्ग प्रशासनिक सेवा से दूर न रहें, इसलिए यह प्रावधान किया गया है ।

मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारी : मंत्री और उनके विभाग के कर्मचारी अथवा सचिव, उपसचिव इन पदों पर कार्य करनेवाले व्यक्तियों के संबंधों पर उन विभागों की कार्यकुशलता अवलंबित रहती है । मंत्री अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेते हैं परंतु ये निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारी सभी प्रकार की जानकारी देते हैं । प्रशासनिक कर्मचारियों का अर्थात नौकरशाही का जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण होता है । किसी योजना के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है, इसे प्रशासनिक कर्मचारी ही बता सकते हैं । नीतियों की सफलता-असफलता की इन्हें जानकारी होती है । इसलिए मंत्री भी बड़ी मात्रा में प्रशासनिक कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं । अगर मंत्री इन प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ संवाद तथा पारस्परिक संबंधों में विश्वास, पारदर्शिता रखते हैं तो उनके विभागों का प्रशासन पूरी कार्यक्षमता से चल सकता है ।

स्वाध्याय

१. निम्न कथन सत्य हैं या असत्य बताकर फिर से लिखो ।

(१) संसदीय लोकतंत्र में जनता द्‌वारा चुने गए प्रतिनिधियों और मंत्रियों पर प्रशासनिक उत्तरदायित्व रहता है ।

(२) संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) महाराष्ट्र में प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा द्‌वारा प्रत्याशियों का चयन करता है ।

२. निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो ।

(१) प्रशासनिक सेवाओं में भी आरक्षित स्थानों की नीति है ।

(२) प्रशासनिक कर्मचारियों का राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना क्यों आवश्यक है ?

३. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखो ।

(१) विभाग का प्रशासन कार्यकुशलता से चलाने में मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट करो ।

(२) नौकरशाही से राज्य प्रशासन को स्थिरता किस प्रकार प्राप्त होती है, उसे स्पष्ट करो ।

४. निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो ।

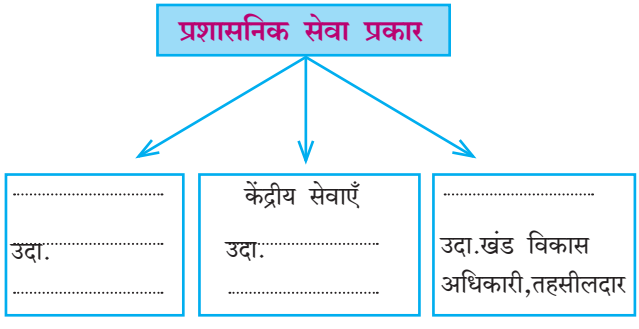

५. नौकरशाही का स्वरूप स्पष्ट करो ।

उपक्रम

तुम्हारे क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा में कार्यरत किसी अधिकारी का साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार करो और साक्षात्कार लो ।

9M8Z85